प्रेषक: संख्या: 124/XXX-2-22-30(13)2017

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव**
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

2. **मण्डलायुक्त,**
गढ़वाल/कुमाऊं/पौड़ी/नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

3. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
उत्तराखण्ड।

4. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 08 अप्रैल, 2022

विषयः **वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' के अनुसार स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी नियत की गयी है और अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानान्तरण सत्र हेतु समय सारिणी में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 116 दिनांक 20.05.2021 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2020-2021 एवं शासनादेश संख्या 138 दिनांक 24.05.2021 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2021-22 के दौरान राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित किया गया था।

2. वर्तमान में कोविड संक्रमण में कमी होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' के अनुसार सामान्य स्थानान्तरण किए जाने का निर्णय लेकर अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

परिवर्तित समय-सारिणी	
1. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण की तिथि	30 अप्रैल
2. सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियो का गठन किया जाना	01 मई
3. प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	15 मई
4. अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि	20 मई
5. अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	31 मई
6. उक्त 3 व 4 मे विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि	15 जून
7. प्राप्त विकल्पों/आवेदन-पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	20 जून
8. स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि	25 जून से 05 जुलाई
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि	10 जुलाई
10. निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अन्दर
11. स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर
12. स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्थानान्तरण सत्र 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' के प्राविधानों का पूर्ण परिपालन करते हुए उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

संख्याः 124/XXX–2–22–30(13)2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।